



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2302]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 2302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

का.आ. 3015(अ).— केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 मई, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1634(अ) तारीख 4 मई, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :--

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सदस्य और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“(iii) श्री के.एल. कम्बोज

निदेशक, आईसीएलएस अकादमी, आईआईसीए मानेसर.

- सदस्य”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/15/2016-पीआई]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 1634(अ) तारीख 4 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1940(अ) तारीख 2 जून, 2016 द्वारा संशोधित की गई।